<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102024-257610 CG-DL-E-01102024-257610

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272] No. 272] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/आश्विन 8, 1946 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ASVINA 8, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

विषय: चीन जन गण में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सौर पैनलों/मॉड्यूलों के लिए एल्यूमिनियम फे्रम के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में शुद्धिपत्र।

फा. सं. 6/7/2023-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "नियमावली" के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

उपरोक्त विषय पर अंतिम निष्कर्ष दिनांक 29.06.2024 को जारी किए गए, कृपया फ़ाइल संख्या 6/7/2024-डीजीटीआर के बजाय 6/7/2023-डीजीटीआर के रूप में पढें।

दर्पण जैन. निर्दिष्ट प्राधिकारी

6329 GI/2024 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2024

Subject: Corrigendum in anti-dumping investigation concerning imports of "aluminium frames for solar panels/modules" originating in or exported from China PR.

F. No. 6/7/2023-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Rules") thereof.

The final findings on the subject above issued dated 29.06.2024, please read file number as **6/7/2023-DGTR** instead of 6/7/2024-DGTR.

DARPAN JAIN, Designated Authority